न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गजेन्द्र सिंह (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बरः– 94 / 2022

निर्णय दिनांक :–28.02.2023

सरकार बनाम श्री कमलेश कुमार पुत्र फूलचन्द यादव जरिये पार्टनर श्री बजरंग स्टोन केशर पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी।

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :–28.02.2023

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी / अतिक्रमी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का पापड़ा कला तथा भू.अ. निरीक्षक पापड़ा कला द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का पापड़ा कला के ग्राम पापड़ा खुर्द में स्थित भूमि ख.न. 502 कुल रकबा 28.06 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.25 है0 भूमि पर अप्रार्थी / अतिक्रमी श्री कमलेश कुमार पुत्र फूलचन्द यादव जरिये पार्टनर श्री बजरंग स्टोन केशर पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी ने अनाधिकृत रूप से पक्की दिवार व खनन किये गये पत्थर रोड़ी व मलबा डालकर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस प्राप्ति पर अप्रार्थी / अतिक्रमी मय विद्धान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित आए एवं जवाब नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा। विद्धान अधिवक्ता को जवाब नोटिस पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। दिनांक 10.02.2023 को अधिवक्ता उपस्थित आए एवं जवाब नोटिस पेश करने हेतु पूनः समय चाहा। अप्रार्थी / अतिक्रमी के अधिवक्ता को जवाब नोटिस पेश करने हेतु बार–बार पर्याप्त समय दिया गया किन्तु अप्रार्थी / अतिक्रमी अधिवक्ता द्वारा जवाब नोटिस पेश नही किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस एवं कोई ठोस साक्ष्य सबुत पैश नही किया गया।

अतः अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भैतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

पटवार हल्का पापड़ा कला को ग्राम पापड़ा खुर्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 502 कुल रकबा 28.06 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.25 है0 भूमि. पर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री कमलेश कुमार पुत्र फूलचन्द यादव जरिये पार्टनर श्री बजरंग स्टोन क्रेशर पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक शहर लगान 0.79/– रूपये का 50 गुणा यानि कुल 40/– रूपये (अक्षरे चालीस रूपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थी/अतिक्रमी पर आरोपित किया जाता है। निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एंव भू0अ0 निरीक्षक को लिखा जावें। भू0अ0 निरीक्षक पापड़ा कला को आदेशित किया जाता है अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली इस न्यायालय में पेश करें।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

रजिस्टर व वर्ष 2022-23 पृष्ठ 31
रुपये 40/–
कायमी की गई
तहसील लेखाकार